विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
11 (क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 की विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे कुछ कैदियों की उम्र 80 वर्ष से ऊपर है?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ, तो जनपदवार व जेलवार उनकी संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखेगें?	जी हॉ, दिनांक 13.09.2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की कारागारों मे 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आजीवन कारावास की सजा भोग रहे बन्दियों की संख्या-181 है, जिनकी जिलेवार एवं जनपदवार सूची संलग्न है।
(ग) क्या 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों को जेल से छोड़े जाने हेतु शासनादेश जारी करेंगे?	जी नहीं क्योंकि आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई हेतु स्थायी नीति के रूप में शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018 दिनांक 01.08.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/ 22-2-2021-07जी0/2018 दिनांक 28.07.2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018 दिनांक 27.05.2022 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 01.08.2018 के प्रस्तर-2(ड.) में व्यवस्था है कि- "आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है, विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है," की समयपूर्व रिहाई की कार्यवाही अनवरत प्रचलित है। 2- आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, जिनके द्वारा 14 वर्ष अपरिहार सजा भोग ली गयी है, उम्र की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, की समयपूर्व रिहाई यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत समयपूर्व रिहाई (फार्म-ए/ लाइसेंस) की कार्यवाही अनवरत प्रचलित है। 3- आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, जिनके द्वारा 14 वर्ष अपरिहार सजा भोग ली गयी है, उम्र की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 सपठित धारा-433 के अन्तर्गत उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 (नामिनल रोल) पर सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई की कार्यवाही अनवरत प्रचलित है। 4- भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत निर्गत

शासनादेश संख्या- 660/22- 2- 2005-17 (346)/92, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों (उम्र एवं सजा भोगे जाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है) की समयपूर्व रिहाई की कार्यवाही अनवरत् प्रचलित है।

5- विचाराधीन बन्दी मा0 न्यायालयों की अभिरक्षा/ दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कारागार में निरूद्ध होते हैं। इन बन्दियों की रिहाई सम्बन्धित मा0 न्यायालय के द्वारा ही की जाती है।

(घ) यदि हॉ, तो कब तक? — उपरोक्तानुसार।

(ड.)यदि नहीं, तो क्यों? — प्रश्न ही नहीं उठता।

धर्मवीर प्रजापति
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

विधान परिषद के द्वितीय सत्र / 2022 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित मा० सदस्य श्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 11 के उत्तर का संलग्नक

80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कैदियों का विवरण

प्रारूप

क0	कारागार का नाम	बन्दी का नाम व पिता / पति का नाम एवं पता	जनपद	आयु	सजा का विवरण एस0टी0न0, धारा एवं मा0 न्यायालय का नाम	सजा का दिनांक	दिनांक 13.09.2022 तक काटी गयी सजा		कारागार में आचरण / अपील व निर्णय का दिनांक	अन्य विचाराधीन वाद, यदि कोई लम्बित हो	समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण
							अपरिहार	सपरिहार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जिला कारागार अयोध्या।	लतीफ पुत्र सुलेमान निवासी–सहतेमऊ मजरे रानिकपुर थाना–कुमारगंज, अयोध्या।	अयोध्या	92 **वर्ष**	अ0सं0–90/2016 एस0टी0 सं0–264/2016, धारा–147,148, 302/149, 307/149, 23/149, 352, 506(2), भा0द0वि0 चालानी थाना– कुमारगंज। आजीवन कारावास, अर्थदण्डरू0–61,500/अदा न करने पर 02 वर्ष 11 माह 15 दिन का अति0 कारावास। मा0 न्यायालय, ए0एस0 जे0 –तृतीय, फैजाबाद।	26.05.2022	00 वर्ष 07 माह 18 दिन	00 वर्ष 08 माह 09 दिन	अपील सं0–1315/2022 लम्बित	–	समय पूर्ण नही
2.	जिला कारागार सुलतानपुर	अनीस पुत्र फैजू निवासी–मरदानपुर थाना–बाजार शुक्ल जिला–अमेठी	अमेंठी	**82 वर्ष**	आजीवन कारावास एस0टी0न0–240/1985 अ0सं0–15/1984 धारा–148, 302/149 आई0पी0सी थाना–बाजार शुक्ल जिला–अमेठी	12.12.1986	02 वर्ष 06 माह 00 दिन	02 वर्ष 11 माह 24 दिन	संतोषजनक/ अपील संख्या– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित है।	–	–
3.	जिला कारागार सुलतानपुर	कपिल देव पुत्र मातादीन नि0–कल्याणपुर थाना–कादीपुर *जिला–सुलतानपुर*	सुलतानपुर	**85 वर्ष**	आजीवन कारावास एस0टी0न0–132/2011 अ0सं0–98/2011 धारा–302/34, 326/34 आई0पी0सी0 थाना–दोस्तपुर *जिला–सुलतानपुर*	10.12.2021	01 वर्ष 11 माह 12 दिन	02 वर्ष 00 माह 06 दिन	संतोषजनक/अपील संख्या–2211/2021 माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।	–	–
4.	जिला कारागार सुलतानपुर	रामलखन पुत्र भगवानदीन नि0– पटखौली थाना–पीपरपुर जिला– अमेंठी	अमेंठी	80 वर्ष	आजीवन कारावास एस0टी0न0–166/2006 अ0सं0–126/2006 धारा–302/34, 506 आई0पी0सी0 थाना–पीपरपुर जिला–अमेठी	14.03.2022	01 वर्ष 00 माह 02 दिन	01 वर्ष 00 माह 17 दिन	संतोषजनक/बन्दी के परिजन द्वारा अपील की गयी है परन्तु अभी अपील नंम्बर प्राप्त नहीं हुआ है।	–	–